Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD FAIZABAD

सन्दर्भ सं0
Ref. No. : 2344/N.O.C/2017

दिनांक :
Dated : 28/3/2017

सेवा में,

मेसर्स राजेश कुमार पुत्र श्री राजितराम (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0) रीटेल आउटलेट,
ग्राम मोतिगरपुर, पोस्ट बसखारी, तह0 टाण्डा,
जनपद- अम्बेडकरनगर-224129

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानो के अन्तर्गत के स्थापनार्थ सहमति |

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक–19.03.2017 का सन्दर्भ लें। आवेदन पत्र पर विचार किया गया। अवगत हों कि एच0एस0डी0 एवं पेट्रोल के भण्डारण तथा वितरण हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति निर्गत की जाती है। निर्गत अनापत्ति निम्नांकित स्थल एवं भण्डारण हेतु विधिमान्य है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।
   (क) स्थल एवं प्रयोजन–गाटा नं0-872, ग्राम- अफजलपुर, बसखारी रोड, तह0 अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर |
   (ख) भण्डारण क्षमता– डीजल 2 ×22 किलोलीटर एवं पेट्रोल 16 किलोलीटर हेतु स्टील टैंक में भण्डारण किया जायेगा |
   (ग) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा–शून्य।
   (घ) प्रयुक्त ईधन–15.0 के0वी0ए0 के डी0जी0 सेट के संचालन हेतु डीजल ।
   (ङ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा–0.5 किली/दिन।
2. इकाई से जनित घरेलू मलजल का निस्तारण उपयुक्त क्षमता के सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाये |
3. इकाई द्वारा डीजल, पेट्रोल की भण्डारण क्षमता में परिवर्तन से पूर्व अनापत्ति प्राप्त की जाये।
4. किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए अग्निशमन अधिनियमों के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अनुसार व्यवस्था स्थापित की जाये।
5. डीजल, पेट्रोल का भण्डारण इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

क्रमशः 2.....